राजस्थान को शहरी विकास व शिक्षा के लिये 1121 करोड़ रु. मिले, मुख्यमंत्री ने आभार जताया

उन्होंने कहा, इस राशि से शहरी आधारभूत ढांचे व शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने में मदद मिलेगी

जयपुर/नई दिल्ली, 12 सितंबर। राजस्थान सरकार को शहरी विकास और स्कूली शिक्षा क्षेत्र में केन्द्र सरकार से बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।

- **मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि केन्द्र सरकार से इस सहयोग को प्राप्त करने के लिये वे पिछले दिनों शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल व शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मिले थे।**

केन्द्रीय वित्त आयोग (शहरी) अनुदान के तहत राजस्थान को 541 करोड़ रुपये तथा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से 580 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। इस प्रकार राज्य को कुल 1121 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में शहरी आधारभूत ढांचे के विकास एवं स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि यह सहायता प्रदेश में शहरी परियोजनाओं को गति देने के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाएगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार से इस सहयोग को प्राप्त करने के लिए उन्होंने हाल ही में केन्द्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से मुलाकात की थी, जिसमें प्रदेश की आवश्यकताओं पर विस्तार से चर्चा की गई थी।

उन्होंने विश्वास जताया कि केन्द्र एवं राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से राजस्थान में विकास की रफ्तार और तेज होगी तथा आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत 6 माह में दर्ज होना अनिवार्य

नयी दिल्ली, 12 सितंबर। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में शिकायत अधिकतम छह महीने में दर्ज करना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति पंकज मिथल और प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय विधि विज्ञान विश्वविद्यालय (कोलकाता) के कुलपति द्वारा ऐसी घटनाओं के खिलाफ एक महिला संकाय सदस्य की याचिका को समय सीमा समाप्त होने के कारण खारिज करने के फैसले को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की।

पीठ ने शिकायतकर्ता की याचिका पर अपने फैसला सुनाते हुए कहा, ''हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एलसीसी (स्थानीय शिकायत समिति) के उस फैसले को बहाल करने में कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है, जिसमें अपीलकर्ता की शिकायत समय सीमा पार कर चुकी है और खारिज किए जाने योग्य है।'' न्यायमूर्ति मिथल ने फैसले में लिखा, ''गलती करने वाले को माफ करना उचित है, लेकिन गलती को भूलना नहीं चाहिए। अपीलकर्ता के खिलाफ जो गलती हुई है, उसकी तकनीकी आधार पर जांच नहीं की जा सकती।

बीकानेर में बैंच की संभावना पर जयपुर में वकीलों ने पैरवी नहीं की

केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुन मेघवाल के वायरल वीडियो की प्रतिक्रिया में सभी बार एसोसिएशन के वकील एकजुट रहे

जयपुर, 12 सितंबर। केन्द्रीय विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के वायरल वीडियो के बाद बीकानेर में हाईकोर्ट पीठ की स्थापना की आशंका पर शहर के वकीलों ने हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों में पैरवी नहीं की। इस दौरान अदालतों ने अधिकांश मामलों में सुनवाई टाल दी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, द बार एसोसिएशन और द डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन की ओर से संयुक्त रूप से बैठक कर इस संबंध में निर्णय लिया गया था।

- **वकीलों के पैरवी के लिये नहीं जाने पर निचली अदालतों में पीठासीन अधिकारियों ने मुकदमों में आगे की तारीख दी।**

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव रमित पारीक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री के वायरल वीडियो से बीकानेर में हाईकोर्ट की पीठ की स्थापना को लेकर वकीलों में भ्रम पैदा हो गया है। ऐसे में एक दिन के लिए वकीलों ने सांकेतिक प्रदर्शन कर अदालतों में पैरवी नहीं की। अदालत खुलने के बाद बार पदाधिकारी हाईकोर्ट के मुख्य द्वार के पास एकत्रित हो गए और इस दौरान वकीलों ने अदालतों से दूरी बनाए रखी। कुछ वकील जानकारी के अभाव में मुकदमों में पैरवी के लिए जाने लगे तो बार पदाधिकारियों ने उन्हें प्रकरण की जानकारी देकर पैरवी नहीं करने की गुजारिश की। इसके चलते अदालतों में बार एसोसिएशन का कोई सदस्य पैरवी के लिए नहीं गया।

द बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप लुहाडिया ने बताया कि वकीलों द्वारा पैरवी के लिए नहीं जाने पर निचली अदालतों के पीठासीन अधिकारियों ने मुकदमों में आगे की तारीख दी। इसी तरह अन्य अदालतों में भी वकीलों के नहीं जाने से कामकाज प्रभावित हुआ।

भारत सरकार सबसे बड़ी रक्षा डील की तैयारी में

नई दिल्ली, 12 सितंबर। रक्षा मंत्रालय को भारतीय वायुसेना से 114 'मेक इन इंडिया' राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद का प्रस्ताव मिला है। इस सौदे की कीमत दो लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बताई जा रही है। खास बात यह है कि ये विमान फ्रांस की डसॉ एविएशन कंपनी बनाएगी, लेकिन इसमें भारतीय एयरोस्पेस कंपनियों की भी अहम भूमिका होगी। मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा शुरू कर दी है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, वायुसेना द्वारा तैयार किया गया स्टेटमेंट ऑफ केस (एसओसी) मंत्रालय को कुछ दिन पहले मिला है। अब इस पर रक्षा मंत्रालय की विभिन्न शाखाएं, जिसमें रक्षा वित्त भी शामिल है, विचार कर रही हैं। अगले चरण में यह प्रस्ताव रक्षा खरीद बोर्ड डीपीबी) और फिर रक्षा अधिग्रहण परिषद (डीएसी) के पास जाएगा। इस प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह भारत सरकार का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा। इससे भारतीय रक्षा बलों के पास कुल 176 राफेल विमान हो जाएंगे। फिलहाल भारतीय वायुसेना के पास 36 राफेल हैं।

दिल्ली में ही क्यों, पूरे देश में बैन हों पटाखे

चीफ जस्टिस गवई ने कहा, पूरे देश में हवा खराब है, अगर पटाखों पर बैन लगे तो पूरे देश में लगे

नई दिल्ली, 12 सितंबर। दिवाली से पहले एक बार फिर पटखों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट नेशुक्रवार को पटाखों पर सिर्फ दिल्ली-एनसीआर में प्रतिबंध लगाए जाने पर सवाल उठाया है। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पटाखों पर पूरे देश में प्रतिबंध लगाए जाने की बात पर जोर देते हुए कहा कि अगर एनसीआर के लोगों को साफ हवा का अधिकार है, तो बाकी शहरों के लोगों को क्यों नहीं? उन्होंने साफ कहा कि पटाखों को लेकर कोई भी नीति पूरे देश के लिए एक जैसी होनी चाहिए। सीजेआई ने आगे कहा कि हम सिर्फ दिल्ली के लिए नियम नहीं बना सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि दिल्ली के लोग विशेष हैं। सीजेआई गवई ने आगे कहा किमैं पिछले साल अमृतसर में था, वहां की हवा दिल्ली से भी ज्यादा खराब थी।

- **दिवाली से पहले फिर से पटाखों पर प्रतिबंध की मांग जोर पकड़ रही है।**
- **ज्ञातव्य है कि पिछले कुछ वर्षों से दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर पटाखों पर बैन लगाया जाता है और गतवर्ष दिसंबर में तो पूरे वर्ष के लिए पटाखे पर बैन लगा दिया गया था।**

अगर पटाखों पर बैन लगाना है, तो पूरे देश में लगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्च कीटिप्पणी कावरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने समर्थनकरते हुए कहा कि अमीर लोग तो खुद का ख्याल रखते हैं, प्रदूषण बढ़ ता है तो दिल्ली छोड़कर बाहर चले जाते हैं। इसके बाद कोर्ट ने देशभर में पटाखों पर बैन लगाने की मांग वाली एक याचिका पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को नोटिस भेजा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी दिवाली से पहले आई है।

समुद्री क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए नया बेस, आईएनएस अरावली कमीशन हुआ

नयी दिल्ली, 12 सितम्बर। सूचना क्रांति के निरंतर बदलते दौर में भारतीय नौसेना ने अपने तमाम सूचना और संचार केन्द्रों के बीच तालमेल बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा तथा सहयोग को मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुरूग्राम में एक नए नौसैनिक अड्डे आईएनएस अरावली को कमीशन किया। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की मौजूदगी में कमीशन किया गया यह बेस समुद्री सीमाओं से दूर रहते हुए भी प्रौद्योगिकी के बल पर समुद्री क्षेत्र के चप्पे-चप्पे पर नजर रखेगा। इस बेस को नौसेना के कमान, नियंत्रण और समुद्री डोमेन जागरूकता नेटवर्क के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आईएनएस अरावली के परिसर में ही नौसेना का इन्फॉर्मेशन फ्यूज़न सेंटर, इंडियन ओशन रीजन भी है, जो हिन्द महासागर की सभी समुद्री गतिविधियों पर पैनी नजर रखता है और इनकी वास्तविक समय पर जानकारी भी देता है। नौसेना प्रमुख ने इस अवसर पर कहा कि आईएनएस अरावली नौसैनिक अड्डों के बढ़ते पैमाने और अत्याधुनिकीकरण के अनुरूप एक मजबूत प्रशासनिक और सैन्य सहायता का आधार प्रदान करता है, जिससे निर्बाध संचालन सुनिश्चित होता है। उन्होंने कहा, ''यह नया बेस न केवल प्रौद्योगिकी का केन्द्र होगा, बल्कि महासागरों के पार हमारे प्लेटफार्मों और साझेदारों को जोड़ने वाले सहयोग का भी केन्द्र होगा।

- **गुरूग्राम में कमीशन हुए इस बेस से तमाम सूचना एवं संचार केन्द्रों के बीच तालमेल मजबूत बनेगा**

ढाई साल के हिंसक दौर...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और पीस ग्राउंड पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। चुराचांदपुर का चयन इसलिए भी अहम है, क्योंकि यह ज़िला हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है। इस हिंसा में अब तक कम से कम 260 लोगों की जान गई और हजारों लोग विस्थापित हुए। चुराचांदपुर से प्रधानमंत्री दोपहर करीब 2:30 बजे मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचेंगे, जहां वे 1,200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। जहां चुराचांदपुर में कुकी समुदाय का वर्चस्व है, वहीं, इम्फाल में बहुसंख्यक मैतेई समुदाय है। ऐसे में यह दौरा राजनीतिक संकेतों के लिहाज से संतुलन साधता हुआ दिखाई देता है। मुख्य सचिव गोयल ने कहा, ''माननीय प्रधानमंत्री की यह यात्रा राज्य में शांति, सामान्य स्थिति और तेज़ विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। राज्य सरकार और भारत सरकार की ओर से मैं मणिपुर की जनता से अपील करता हूं कि वे पीएम का स्वागत करें और बड़ी संख्या में कार्यक्रमों में भाग लें।' मणिपुर में हिंसा 3 मई 2023 को उस वक्त शुरू हुई थी, जब पहाड़ी जिलों में जनजातीय एकजुटता मार्च निकाला गया था। यह मार्च मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में था। तब से प्रधानमंत्री द्वारा राज्य का दौरा न करने को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की आलोचना करता रहा है। अगस्त 2023 में विपक्ष ने केन्द्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया था और मणिपुर मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार ने जवाबी हमला करते हुए पूर्वोत्तर में कांग्रेस की विफलताओं को उजागर किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने तब मणिपुर की जनता को आश्वस्त किया था कि देश उनके साथ है और शांति का रास्ता जल्द निकलेगा।

जब पीएम की इस यात्रा की अटकलें लग रही थीं, तो कुछ कांग्रेस नेताओं ने इसे ''बहुत देर से, बहुत कम'' बताया था। शुक्रवार को मणिपुर कांग्रेस अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने कहा कि यह यात्रा ''सिर्फ एक प्रतीकात्मक कदम है।''

नाबालिग लड़की से परिचित आरोपी द्वारा दुष्कर्म

जयपुर, 12 सितम्बर। करधनी थाना इलाके में 15 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर आरोपित परिचित ने डरा-धमकाकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। प्रेग्नेंट होने पर नाबालिग के साथ दरिंदगी का पता चला। नाबालिग पीड़िता के पिता की ओर से थाने में मामला दर्ज करवाया गया है।

पुलिस ने बताया कि करधनी के रहने वाले व्यक्ति ने मामला दर्ज करवाया है कि उसकी 15 वर्षीय बेटी से परिचित युवक ने दुष्कर्म किया है। आरोप है कि परिचित होने के कारण आरोपित को नाबालिग बेटी जानती है। परिजनों की गैरमौजूदगी में आरोपित परिचित घर आया। घर में नाबालिग को अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर आरोपी ने डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। डर के मारे नाबालिग बेटी ने परिजनों को आपबीती नहीं बताई। पेट में दर्द की शिकायत पर डॉक्टर को नाबालिग बेटी को दिखाया। प्रेग्नेंट होने का पता चलने पर नाबालिग से पूछने पर उसने आरोपी परिचित की करतूत बताई। नाबालिग के साथ दरिंदगी का पता चलने पर पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

- **नाबालिग के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया।**

प्र.मंत्री की मां के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कांग्रेस को इस नीचता से ऊपर उठना चाहिए। जनता इसका जवाब चुनाव में देगी। बिहार की जनता बेहद नाराज़ है।'' भाजपा के एक और प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने भी कहा कि यह वीडियो देश की माताओं की भावनाओं का मज़ाक उड़ाता है। उन्होंने कहा, ''यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो जारी किया है। वे देश की करोड़ों माताओं की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। हमारे लिए मां, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी होती हैं। कांग्रेस नेताओं को तुरंत माफी मांगनी चाहिए।

जगदीप छोकर, जिन्होंने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कानून की पढ़ाई भी पूरी की थी। छोक्कर केवल एक कानूनी रणनीतिकार नहीं थे; वे सच्चे लोकतंत्र के एक अथक प्रवक्ता भी थे। वे स्वच्छ राजनीति, पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता और धनबल के खतरों पर खुलकर बोलते और लिखते थे।(जगदीप छोक्कर अपने पीछे न केवल एडीआर छोड़कर गये हैं, बल्कि साहस, स्पष्टता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता की विरासत भी पीछे छोड़ गए हैं।

वे बेहद मिलनसार व्यक्ति भी थे। वे नवोदित पत्रकारों का धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करते थे तथा वे लोग उनके साथ बहुत सहज महसूस करते थे।

राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सभापति का कार्यभार ग्रहण कर लिया। उप राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा सचिवालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में राधाकृष्णन के उच्च सदन के सभापति का कार्यभार संभालने की जानकारी दी। राधाकृष्णन ने सुबह उप राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल जाकर वहां स्थित देश की महान हस्तियों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने राजघाट जाकर राष्ट्रपति महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वह दीन दयाल उपाध्याय मार्ग स्थित जनसंघ के संस्थापक पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्मारक, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वापजपेयी की समाधि सदैव अटल और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की समाधि किसान घाट भी गये और दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।

इस बीच गृह मंत्रालय ने भी एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि उप राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद राधाकृष्णन देश के उप राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गये हैं।

- **इसी दौरान उपराष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद का प्रभार सौंपा।**
- **आरंभ से ही संघ से जुड़े राधाकृष्णन तमिलनाडु की भाजपा इकाई के अध्यक्ष भी रहे हैं।**

अपनी नई जिम्मेदारी की तैयारी में राधाकृष्णन ने गुरुवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक बयान में इसकी पुष्टि की गई है। उनके इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है।

राधाकृष्णन अब तक महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। चार मई, 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में जन्मे राधाकृष्णन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक हैं। उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक के रूप में शुरु किया और अब वह देश के उप राष्ट्रपति चुने गये हैं।

राधाकृष्णन ने सार्वजनिक जीवन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवक के रूप में शुरु किया और सन 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने। उन्हें 1996 में तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का सचिव नियुक्त किया गया। वे 1998 में कोयंबटूर से पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए। वर्ष 1999 में वे पुन: लोकसभा के लिए चुने गए। राधाकृष्णन ने 2004 में, संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वह भारत से ताइवान गए पहले संसदीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे। राधाकृष्णन 2004 से 2007 के बीच, तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इस पद पर रहते हुए, उन्होंने 93 दिनों तक चली 19,000 किलोमीटर की रथ यात्रा की। उन्होंने 31 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में शपथ ली।

झारखंड के राज्यपाल के रूप में उन्होंने करीब लगभग डेढ़ वर्ष तक कार्य किया। उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का कार्यभार भी संभाला। राधाकृष्णन अपने कॉलेज के दिनों में टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन और लंबी दूरी के धावक थे। उन्हें क्रिकेट और वॉलीबॉल का भी शौक था। राधाकृष्णन ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सहित कई देशों की यात्रा की है।

ब्लूटूथ से नकल कर चयनित दो और कनिष्ठ लिपिक गिरफ्तार

दोनों आरोपियों ने नकल गिरोह के मास्टर माइंड से पांच-पांच लाख रुपये में सौदा किया था

जयपुर, 12 सितम्बर। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से कनिष्ठ न्यायिक (सहायक लिपिक ग्रेड सेकंड और लिपिक ग्रेड सेकंड) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2022 में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल कर चयनित हुए दो कनिष्ठ लिपिकों को गिरफ्तार किया गया है। एसओजी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों ही गिरफ्तार आरोपितों ने नकल गिरोह के मास्टरमाइंड से पांच-पांच लाख रुपए में सौदा किया था। दोनों पिछले छह माह से फरार चल रहे थे। फिलहाल आरोपितों से पूछताछ की जा रही है।

- **एसओजी द्वारा गिरफ्तार किया गया राकेश जाखड़ 8 माह से तथा ओमप्रकाश जाट 7 माह से फरार चल रहा था।**

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी एसओजी) वीके सिंह ने बताया कि ब्लूटूथ से नकल कर कनिष्ठ लिपिक बनने वाले आरोपी राकेश जाखड़ (24) और ओमप्रकाश जाट (30) को गिरफ्तार किया है और दोनों ही आरोपित कुचेरा जिला नागौर के रहने वाले हैं। कनिष्ठ लिपिक राकेश जाखड़ वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-4 उदयपुर के पदस्थापित था, जो पिछले करीब 8 महीने से स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित होकर फरार चल रहा था। वहीं, अन्य आरोपित राकेश जाखड़ का छोटा भाई बीरबल जाखड़ भी इसी परीक्षा में ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करके कनिष्ठ लिपिक के पद पर चयनित हुआ था।

बीरबल जाखड़ को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपित ओमप्रकाश जाट वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या-1 ब्यावर में पदस्थापित था। वह भी पिछले सात महीने से स्वैच्छिक रूप से अनुपस्थित होकर फरार चल रहा था। कनिष्ठ लिपिक ओमप्रकाश को ईओ-आरओ भर्ती परीक्षा-2022 ब्लूटूथ से नकल कर पास करने के आरोप में एसओजी ने अक्टूबर-2024 में गिरफ्तार किया था। सिंह ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से कनिष्ठ न्यायिक (सहायक लिपिक ग्रेड सेकेंड और लिपिक ग्रेड सेकेंड) के पदों पर सीधी भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2022 का आयोजन किया गया था। अजमेर के गीत गणपति प्राइवेट आईटीआई में राकेश जाखड़ का परीक्षा सेंटर आया था और वहीं नागौर के श्रीमती रतन बहन राजमल चौधरी राजकीय बालिका सीनियर सैकंडरी स्कूल में ओमप्रकाश का परीक्षा सेंटर था।

नकल गैंग के मुख्य आरोपित पौरव कालेर ने मोबाइल के जरिए राकेश जाखड़ और ओमप्रकाश जाट को परीक्षा सेंटर में ब्लूटूथ डिवाइस से प्रश्न-पत्र के उत्तरों की नकल करवाई थी। नकल करवाने के लिए राकेश जाखड और ओमप्रकाश का पांच-पांच लाख रुपए में पौरव कालेर से सौदा तय हुआ था। ब्लूटूथ से नकल कर परीक्षा पास करने पर दोनों कनिष्ठ श्रेणी लिपिक (ग्रेड-द्वितीय) के पद पर चयनित हो गए।

दक्षिणपंथी नेता चार्ली कर्क का हत्यारा गिरफ्तार

वॉशिंगटन, 12 सितंबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणा की कि दक्षिणपंथी कार्यकर्ता चार्ली कर्क की हत्या के संदिग्ध को बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान के बाद हिरासत में ले लिया गया है। फॉक्स न्यूज को दिए एक लाइव स्टूडियो इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ''आरोपी के किसी बेहद करीबी ने ही उसे पकड़वाया है।'' मुझे उम्मीद है कि उसे मौत की सजा मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि अभी यह पता नहीं है कि संदिग्ध किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या नहीं। न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, चार्ली कर्क की हत्या करने वाला 22 वर्षीय टायलर रॉबिन्सन है और वह यूटा का रहने वाला है। रॉबिन्सन के पिता ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया।एफबीआई ने चार्ली कर्क की मौत के मामले में एक संदिग्ध का वीडियो जारी किया था। जांच कर रहे अफसरों ने कर्क की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। एफबीआई ने बताया था कि हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार एक हाई पावर्ड बोल्ट-एक्शन राइफल है। चार्ली कर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद खास थे।

पूर्व मुख्य न्यायाधीश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

'हामी नेपाल' से जुड़े सुदीप गुरूंग कर रहे थे, ने न्यायाधीश कार्की का नाम प्रस्तावित किया। कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रह चुकी हैं। उन्होंने राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सख़्त कदम उठाए थे, जिस वजह से उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया।

सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को हुआ। वे आम जनता के लिए न्याय की आवाज़ रही हैं। 11 जुलाई 2016 को वे नेपाल की मुख्य न्यायाधीश बनीं और 6 जून 2017 तक इस पद पर रहीं।

- **जब उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रुप में राजनीतिज्ञों के भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त व मजबूत रुख बरकरार रखा, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओ सेन्टर) तथा नेपाली कांग्रेस महाअभियोग (इमपीचमेंट) का प्रस्ताव लाये संसद में, पर जनता के व सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ''इमपीचमेंट'' की कार्यवाही रोकनी पड़ी थी, दोनों पार्टियों को।**
- **न्यायाधीश कार्की ने 1972 में नेपाल के महेन्द्र मोरंग कालेज से स्नातक की परीक्षा प्राप्त की, तदोपरान्त, बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी से पोलिटिकल साइन्स में एम.ए. किया, तथा फिर लॉ की पढ़ाई त्रिभुवन युनिवर्सिटी से करके न्यायिक सेवा से जुड़ीं।**

भ्रष्टाचार और सरकार की गलत नीतियों पर उनके समझौता न करने वाले रुख के चलते, 30 अप्रैल 2017 को नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (माओ सेन्टर) और नेपाली कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव रखा। यह प्रस्ताव मार्च 2017 में आए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया, जिसमें सरकार द्वारा पुलिस प्रमुख के रूप में जया बहादुर चंद की नियुक्ति रद्द कर, नवराज सिलवाल को सही ठहराया गया था। हालांकि बाद में जनता के दबाव और सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते संसद को महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ाने से रोक दिया गया और यह प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इस पूरी प्रक्रिया में कार्की ऐसी शख्सियत के रूप में सामने आईं, जो भ्रष्टाचार पर समझौता नहीं करतीं और किसी दबाव में नहीं झुकतीं।

इसी वजह से वे आम जनता में लोकप्रिय हो गईं। कार्की ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। 1972 में उन्होंने महेन्द्र मोरंग कॉलेज से कला स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद वे भारत आईं और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से 1975 में राजनीति विज्ञान में परास्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर वे त्रिभुवन विश्वविद्यालय लौटीं और 1978 में कानून की पढ़ाई पूरी की। अधिकांश नेपाली युवा उन्हें एक ऐसी कठोर और अडिग शख्सियत मानते हैं, जो कभी भ्रष्टाचार के आगे नहीं झुकीं।

मुख्य न्यायाधीश रहते हुए, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख़्त रुख अपनाकर अपनी पहचान बनाई। अब उनके सामने यह बड़ी जिम्मेदारी है कि वे देश की संस्थाओं पर जनता का विश्वास बहाल करें और आने वाले महीनों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करें।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908